बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

का०आ०सं०:-08/अ०प्र०-12-09/2019 2-01

/पटना, दिनांक:-24/9/2020

कार्यालय आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या—3127 दिनांक—06.03.2018 द्वारा प्रवृत्त बिहार सरकारी सेवक विभागीय परीक्षा के उतीर्णता से विमुक्ति नियमावली, 2018 में किये गये प्रावधान के आलोक में श्री प्रेम कुमार, वरीय लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पश्चिमी को 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरान्त आवेदन की तिथि—13.07.2020 के प्रभाव से कम्प्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा की उतीर्णता से विमुक्त किया जाता है।

(प्रवीण कुमार ठाकुर) अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-08/अ0प्र0-12-09/2019

/पटना, दिनांक:--

प्रतिलिपिः—संबंधित कोषागार / उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-08/अ0प्र0-12-09/2019 45-5-3

/पटना, दिनांक:-24/9/2020

प्रतिलिपि:—अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव / मुख्य अभियंता—03, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, एटना / अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर / कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पश्चिमी / श्री प्रेम कुमार, वरीय लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पश्चिमी / आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/

अभियंता[।] प्रमुख